वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय :–वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाष / फैक्स नं0 01733–230537
e-mail-dfomorni@gmail.com

क्रमांकः– 5763 दिनांकः– 18/12/2025

सेवा में:–

Executive Engineer,
Civil Construction Works, HVPNL,
Panchkula

विषयः– **Diversion of 0.01102 Ha. of Forest Land for construction of approach road for 66KV Sub Station situated at village Taprian, Tehsil Raipur Rani, Distt.- Panchkula .(FP/HR/Approach/147084/2021)**

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्र0 2020 दिनांक 29.09.2021

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे आपको लिखा गया था कि अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ0सी0ए0 हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्र0 प्रशा–डी–तीन–10083/4925 दिनांक 20.11.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा 0.01102 है0 वन भूमि के उपयोग हेतु सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः उक्त पत्र के निर्देशानुसार शर्तो एवं नियमों का पालन करते हुये निम्नांकित मदों की राशि **www.parivesh.nic.in** के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही **229005.44/–** रूप्ये की राशि जमा करवायें तथा रसीद मण्डल कार्यालय में देवें ताकि उसी अनुसार उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जा सके।

लेकिन आप द्वारा दिनांक 18.12.2025 तक उक्त राशि सम्बन्धित अकांउट में जमा नही करवाई है। अतः आपको पुनः लिखा जाता है कि उक्त राशि उपरोक्त अनुसार सम्बन्धित अकांउट में जमा करवाकर इस कार्यालय को अवगत करवायें ताकि इस केस में आगामी कार्यवाही की जा सके।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी–पिंजौर वन मण्डल,
पिंजौर।
18/12/25

पृ0क्र0 5764-65 दिनांकः 18/12/2025

एक प्रति निम्न कोः–

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ0सी0ए0, हरियाणा, पंचकूला को उनके कार्यालय के पत्र क्र0 एफ0सी0ए0/901 दिनांक 05.12.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन राजिक अधिकारी, रायपुर रानी को भेजते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त केस की प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण करके रिपोर्ट भेजें कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित भूमि को प्रयोग करके वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की अवहेलना की गई है या नही। उक्त सूचना दो दिन के अन्दर–2 भेजना सुनिश्चित करें।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी–पिंजौर वन मण्डल,
पिंजौर।
18/12 18/12/25

वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय :–वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाष / फैक्स नं0 01733–230537
e-mail-dfomorni@gmail.com

क्रमांकः– 2020 दिनांकः– 29-9-2021

सेवा में:–

मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
कम्पनी बाग, अम्बाला, हरियाणा।

विषयः– **Diversion of 0.01102 Ha. of Forest Land for construction of approach road for 66KV Sub Station situated at village Taprian, Tehsil Raipur Rani, Distt.- Panchkula (FP/HR/Approach/147084/2021)**

उपरोक्त विषय पर **Executive Engineer, Civil Construction Works, HVPNL, Panchkula** सरकारी वन भूमि में 0.01102 है0 को डाईवर्ट करने हेतु भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव में चैक लिस्ट 18 के अनुसार

क्र0 सं0	विवरण	राशि (Rs.)
1	Compenssatory Afforestation Charges	137910
2	Additional Compensatory Afforrestation	19307.40
3	Surperviory/ Over head/ Miscellaneous Charges (10%)	13791
4	Catchment Area Treatment	45510.30
5	Tree Felling Charges	2712
6	Net present Value of Forest land	9774.74
	Total	**229005.44**

उक्त राशि सैधान्तिक स्वीकृति के उपरान्त एजैन्सी से जमा करवाई जाएगी। प्रस्ताव को वन राजिक अधिकारी, रायपुर रानी की रिपोर्ट के आधार पर तथा मौके के मुआयने अनुसार ही तैयार किया गया है। प्रस्ताव के दस्तावेजों की चैक लिस्ट अनुसार संकलित करके नम्बरवार लगाया गया है तथा नवीनतम मजदूरी की दरों के अनुसार पौधारोपण योजना केन्द्र व राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन व हिदायतों अनुसार तैयार की गई है।

प्रस्ताव का फाईल नं0 FP/HR/Approach/147084/2021है। प्रस्ताव को वैबसाईट पर हस्ताक्षर उपरान्त फीड किया गया है। इस बारे आपको यह भी अवगत करवाया जाता है कि प्रोपोजल में 0.01102 है0 का प्रस्ताव डाला गया है। वन राजिक अधिकारी, रायपुर रानी तथा अधीनस्थ अमले की रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि प्रयोक्ता एजैंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नही की गई है। वन राजिक अधिकारी, रायपुर रानी की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव पर कार्य करने पर 8 पेड़ 7 पौधे नष्ट होंगे। इसलिए सरकार की हिदायतों के अनुसार स्कीम बनाई गई है। जिसका केस इस कार्यालय द्वारा आपको मुख्य वन संरक्षक, एफ0सी0, हरियाणा, पंचकूला के पत्र क0 **FCA Guideline/D-X-66-Vol-XIV-7413 dated 10-09-2020** की हिदायतों के अनुसार ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से भेजा जाता है।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी वन मण्डल,
पिंजौर।
27/9/2021

पृ0क0: 2021 दिनांकः 29-9-2021

एक प्रति **Executive Engineer, Civil Construction Works, HVPNL, Panchkula** को भेजते हुए सूचित किया जाता है कि मण्डल कार्यालय से प्रस्ताव अपलोड किया जा चुका है। आप अपने रजिस्ट्रेशन नं0 के पासवर्ड से प्रस्ताव की वर्तमान की स्थिति बारे जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा प्रस्ताव के बारे में किसी भी तरह की मंत्रणा के लिए आप (1) वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, कम्पनी बाग, अम्बाला (2) अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल ऑफिसर (एफ0सी0), सैक्टर 6 पंचकूला तथा (3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा पंचकूला के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है। प्रस्ताव DCF/DFO कार्यालय से स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी वन मण्डल,
पिंजौर।
27/9/2021